माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

अनुदेश – पत्र

माध्यमिक परीक्षा – 2014

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये सामान्य निर्देश एवं आवश्यक सूचनाएँ

Website : www.rajeduboard.nic.in

;1द्ध परीक्षार्थ आवेदन करने की अन्तिम तिथियाँ एवं परीक्षा शुल्क

		अन्तिम तिथि	देय परीक्षा शुल्क
1.	सामान्य परीक्षा शुल्क	21 अगस्त, 2013	रु. 500/–
2.	एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	05 सितम्बर, 2013	रु. 1000/–
3.	असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000/– सहित	30 नवम्बर, 2013	रु. 1500/–(प्रत्येक जिला मुख्यालय परएक)

;2द्ध पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण एवं शुल्क जमा करा कर अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों के लिए

1.	सामान्य परीक्षा शुल्क	07 अक्टूबर, 2013	रु. 500/–
2.	एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	14 अक्टूबर, 2013	रु. 1000/–
3.	असाधारण परीक्षा शुल्क रु. 1000/– सहित	30 नवम्बर, 2013	रु. 1500/–(प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक)

नोट (i) परीक्षा शुल्क के अलावा अग्रेषण अधिकारी को रु. 40/– अग्रेषण शुल्क भी देना होगा।

(ii) असाधारण परीक्षा शुल्क सहित आवेदन पत्र केवल जिला मुख्यालय पर नियुक्त निम्नांकित अग्रेषण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाएंगे तथा उन्हें परीक्षा भी उसी जिला मुख्यालय परीक्षा केन्द्र पर देनी होगी। उसे जिला मुख्यालय पर स्थित कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है।

1.	अजमेर	राज. जवाहर उ.मा. विद्यालय, सिविल लाईन	19.	जोधपुर	राज. महात्मा गांधी उ.मा. विद्यालय
2.	अजमेर	राज. उ.मा. विद्यालय, तोपदड़ा	20.	जालौर	राज.उ.मा. विद्यालय
3.	भीलवाड़ा	श्री महेश शि.स.उ.मा. विद्यालय	21.	जैसलमेर	राज.अ.श.सा.गोपा उ.मा. विद्यालय
4.	नागौर	रा. सेठ कि. का उ.मा. विद्यालय	22.	सिरोही	राज.उ.मा. विद्यालय
5.	टोंक	राज.उ.मा. विद्यालय	23.	पाली	राज. बांगड़ उ.मा. विद्यालय
6.	जयपुर	राज. राजा रामदेव पौद्दार उ.मा. विद्यालय	24.	बाड़मेर	राज.उ.मा. विद्यालय
7.	जयपुर	श्री म.दि. जैन उ.मा.वि.महावीर मार्ग सी.स्कीम अशोक नगर	25.	उदयपुर	गुरू गो.सि.उ.मा. विद्यालय
8.	भरतपुर	सनातन धर्म उ.मा. विद्यालय	26.	चित्तौड़गढ़	राज.उ.मा. विद्यालय
9.	धौलपुर	राज. महाराणा उ.मा. विद्यालय	27.	राजसमन्द	राज.उ.मा. विद्यालय
10.	अलवर	सैनी उ.मा. विद्यालय	28.	डूंगरपुर	राज. महारावल उ.मा. विद्यालय
11.	सीकर	राज. श्री कल्याण उ.मा. विद्यालय	29.	बांसवाड़ा	राज.बा.उ.मा. विद्यालय
12.	दौसा	श्रीरामकरण जोशी उ.मा. विद्यालय	30.	चूरू	राज. बागला उ.मा. विद्यालय
13.	कोटा	राज.बालिका (महारानी) उ.मा.वि.,रामपुरा	31.	बीकानेर	राज. सार्दुल उ.मा. विद्यालय
14.	बांरा	राज. उ.मा. विद्यालय	32.	हनुमानगढ़	राज.उ.मा. विद्यालय
15.	बूंदी	राज. उ.मा. विद्यालय	33.	झुंझूनू	राज.उ.मा. विद्यालय
16.	झालावाड	राज.बा.उ.मा. विद्यालय	34.	श्रीगंगानगर	सेठ गिरधारीलाल बि.उ.मा. विद्यालय
17.	सवाईमाधोपुर	राज.उ.मा. विद्यालय	35.	प्रतापगढ़	राजकीय उ. मा. विद्यालय
18.	करौली	राज.उ.मा. विद्यालय			

परीक्षा तिथि

माध्यमिक परीक्षा गुरूवार 13 मार्च 2014 से प्रारम्भ होगी।

नोट :– उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन के लिए बोर्ड स्वतंत्र होगा, जिसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

1. **परीक्षार्थी कृपया ध्यान दें –**

(1) नियमों की पूर्ण जानकारी हेतु परीक्षार्थियों को सम्बंधित परीक्षा की विवरणिका देखना आवश्यक है। इस अनुदेश पत्र में केवल मुख्य बातें ही दी गई हैं। इनके आधार पर परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का कानूनी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। विवरणिका की प्रति बोर्ड द्वारा नियुक्त वितरकों से समूल्य प्राप्त की जा सकती है। विवरणिका बोर्ड वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

(2) परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र उसी जिले में वरीयता के आधार पर (चूंकि आवेदन पत्र में दो परीक्षा केन्द्र स्थान लिखने हैं) आवंटित किया जाएगा जिस जिले से उसने आवेदन पत्र अग्रेषित कराया। अर्थात जिले के बाहर अन्य जिले का परीक्षा केन्द्र उसे नहीं दिया जाएगा। अतः परीक्षार्थियों को चाहिए कि उसी जिले से आवेदन – पत्र भरें जिस जिले से उसको परीक्षा देनी हो अन्यथा परीक्षार्थी को उस जिले/स्थान का केन्द्र बिना सूचना दिये आवंटित कर दिया जाएगा जहां से उसने आवेदन पत्र अग्रेषित कराया, चाहे उसने जिले के बाहर का परीक्षा केन्द्र मांगा हो। व्यवस्था की दृष्टि से बोर्ड किसी भी परीक्षार्थी को कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित कर सकता है, इस व्यवस्था में आवंटित केन्द्र में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सैनिक परीक्षार्थियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(3) सभी परीक्षार्थी सूचित हों कि राज्य सरकार द्वारा पारित सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1993 के तहत परीक्षा में नकल/अनुचित साधन काम में लेने वाले परीक्षार्थियों को तीन वर्ष तक का कारावास या रु. 2000/– जुर्माना या दोनों दण्ड दिये जाने का प्रावधान है।

(4) इस अनुदेश पत्र को वे परीक्षा समाप्ति तक अपने पास सुरक्षित रखें। जो सूचनाएँ इस अनुदेश पत्र में दी गई है, उनके विषय में यदि पुनः पत्र व्यवहार किया गया तो उत्तर नहीं दिया जायेगा। आवेदन पत्र में यदि कोई सूचना, नियम/विनियमों के विरूद्ध भर दी गई तो वे किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी। परीक्षार्थी अपना आवेदन पत्र पूरी तरह सोच विचार कर भरें। अपूर्ण अथवा अधूरे या गलत भरे अथवा नियम व्यवस्था में नहीं आने वाले परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र बिना अग्रिम पूछताछ के निरस्त कर दिये जाएंगे। आवेदन पत्र भरते समय त्रुटि होने पर परीक्षार्थी द्वारा कोई सुधार किया जाता है तो परीक्षार्थी लघु हस्ताक्षर कर दें।

2. **आवेदन पत्र कहाँ से व कैसे प्राप्त करें :–**

स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेशार्थ रिक्त नमूने के आवेदन–पत्र बोर्ड द्वारा नियुक्त अग्रेषण अधिकारियों से मिलेंगे। जिसकी सूची बोर्ड के वेबसाईट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को अग्रेषण शुल्क रुपये 40/– तथा निर्धारित पूरा शुल्क अग्रेषण अधिकारी के पास जमा कराने के पश्चात ही आवेदन–पत्र भरने दिया जाएगा। अतः आवेदन पत्र भरने से पहले परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उसे किस श्रेणी में अथवा किन विषयों की परीक्षा देनी है, कौनसे विषय लेने हैं और उसके लिए कितना शुल्क उसे जमा कराना है। एक बार जमा कराया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में अग्रेषण अधिकारी द्वारा नहीं लौटाया जायेगा।

3. आवेदन के लिए कौन पात्र है ?

(1) बोर्ड की माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में केवल वे ही परीक्षार्थी प्रवेश पा सकेंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 की परीक्षा नियमित अथवा स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण/कक्षोन्नत/प्रोन्नत/क्रमोन्नत कर ली हो। कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के आगामी वर्ष को छोड़कर अगले वर्ष में परीक्षार्थी स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेगा। जन्मतिथि की पुष्टि में भी वह उसी विद्यालय की कक्षा 8 उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अतः स्पष्ट किया जाता है कि कक्षा 8 उत्तीर्णता का साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि परीक्षार्थी ओपन स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण रहा है, फिर भी माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। गैर सरकारी विद्यालय द्वारा जारी टी.सी. (स्थानान्तरण प्रमाण पत्र) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कराकर मूल टी.सी. प्रस्तुत करनी होगी।

(2) माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2014 में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों (गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण/रोके गये/अनुपस्थित रहे/विवर्जित किए गए परीक्षार्थियों सहित) को माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2014 की विवरणिका में दी गई परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रमानुसार ही परीक्षा देनी होगी।

(3) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को सत्रांक उस संबंधित विषय में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर आनुपातिक रूप से दिये जाएंगे। गत वर्षो में प्राप्त सत्रांकों की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी।

(4) स्वयंपाठी (प्राइवेट) परीक्षार्थी की परिभाषा :– स्वयंपाठी परीक्षार्थियों से आशय ऐसे परीक्षार्थी से है जो कि परीक्षार्थ आवेदन–पत्र भरने के समय से परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि तक बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययन नहीं कर रहा हो।

(5) पूर्व में पुरानी स्कीम से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी यदि नवीन पद्धति से 10+2 योजना अन्तर्गत पुनः माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित होना चाहे तो उसे इसकी अनुमति श्रेणी–1 में दी जा सकेगी।

(6) विद्यालय स्तर की कक्षा–11 की स्थानीय परीक्षा के साथ बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी 2 व 6 में स्वयंपाठी छात्र के रूप में प्रवेशाज्ञा दी जा सकेगी।

नोट :- राजस्थान राज्य की सीमा के बाहर के पात्र परीक्षार्थी भी बोर्ड की परीक्षाओं में स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में प्रविष्ट हो सकते हैं, परन्तु राजस्थान के बाहर के परीक्षार्थियों को प्रवेशार्थ रिक्त आवेदन पत्र राजस्थान बोर्ड द्वारा नियुक्त अग्रेषण अधिकारी से प्राप्त कर उन्हीं के द्वारा सशुल्क प्रेषित करने होंगे। अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्रों को श्रेणी 2, 4 व 6 में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।

4. किन श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं ?

परीक्षार्थी एक बार में एक ही श्रेणी में प्रविष्ट हो सकता है।

- श्रेणी I – सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।
- श्रेणी II – श्रेणी सुधार हेतु सम्पूर्ण विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।
- श्रेणी IV – अतिरिक्त विषय/विषयों में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।
- श्रेणी V – मान्य प्राच्य भाषा में उत्तीर्ण होने के बाद अंग्रेजी (अनिवार्य) अथवा हिन्दी (अनिवार्य) विषय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।
- श्रेणी VI – अंकों में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (सम्पूर्ण विषयों में नहीं) प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिए।

विशेष नोट :-

(i) श्रेणी सुधार/अंक सुधार अथवा अतिरिक्त विषय में केवल इस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही प्रवेश दिया जावेगा।

(ii) श्रेणी सुधार/अंक सुधार अथवा अतिरिक्त विषय में केवल नई पद्धति (10+2) से परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को ही प्रवेशाज्ञा दी जावेगी।

(iii) श्रेणी सुधार/अंक सुधार/वर्ग परिवर्तन कर परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष में निरन्तर में एक अवसर (एक बार) दिया जावेगा।

(iv) श्रेणी II (श्रेणी सुधार) में परीक्षार्थी को विषय परिवर्तन कर परीक्षा में प्रवेशाज्ञा प्रदान नहीं की जावेगी।

5. आवेदन पत्र की पूर्ति किस प्रकार की जाए :

;I द्ध **आवेदन पत्र** :–

(क) अपने व्यक्तिगत विवरण में स्वयं का, पिता का व माता का नाम स्पष्टतः हिन्दी व अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखें। माता व पिता दोनों का नाम लिखा जाना आवश्यक है। यदि किसी कारणवश माता या पिता में से किसी एक का नाम नहीं लिखने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अग्रेषण अधिकारी से सत्यापित कराकर संलग्न करें जिसमें कारण का उल्लेख स्पष्टतः किया जाए और यदि माता – पिता दोनों का ही नाम लिखने की स्थिति में नहीं हो तो अनाथालय/अभिभावक का नाम लिखने की छूट है किन्तु इस हेतु सप्रमाण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार जैन साध्वियों द्वारा दीक्षा लेने के बाद माता – पिता के नाम के स्थान पर गुरू का नाम लिखा जा सकता है। इस हेतु दीक्षा लेने का स्वयं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रमाण – पत्र देने होंगे। स्वयं, पिता और माता के नाम की वर्तनी सही प्रलेखों के आधार पर सही लिखें। सामान्यतः इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि का विवरण वही अंकित करना होगा जो उसने पूर्व परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित किया था।

(ख) जिस जिले के अग्रेषण अधिकारी से आवेदन पत्र अग्रेषित करवा रहे हैं, उसी जिले के दो परीक्षा केन्द्र स्थानों का चयन वरीयता क्रम में लिखे। बोर्ड कार्यालय पहले स्थान पर परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, अन्यथा दूसरे स्थान पर अथवा स्थानाभाव की स्थिति मे बोर्ड की सुविधा पर आवंटित किया जा सकता है। केन्द्र स्थानों का कोड नम्बर आवेदन पत्र में अवश्य लिखें। त्रुटिपूर्ण कोड की वजह से गलत परीक्षा केन्द्र आवंटित होने से बोर्ड जिम्मेदार नही होगा। इसकी जानकारी अग्रेषण अधिकारी से ले लें। परीक्षा केन्द्र, स्थान का कोड, आवेदन–पत्र में ध्यानपूर्वक भरे।

(ग) जन्म तिथि अंकों और शब्दों में वही लिखें जो विद्यालय के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में अंकित है जो मूल रूप से संलग्न है।

(घ) सैक्स कोड को पुरूष के लिए 01 तथा महिला के लिये 02 स्पष्टतः लिखें।

(ङ) माध्यम कोड हिन्दी के लिए 01 व अंग्रेजी के लिए 02 सावधानी से लिखें।

(च) यदि परीक्षार्थी दृष्टिहीन, विकलांग, सूर्यमुखी, सैनिक, सेरीब्रल पाल्सी, पोलियो/लकवा/जन्मजात विकलांग व मूक बधिर अथवा विमंदित है तो इसका कोड भी आवेदन–पत्र में यथा स्थान लिखें।

(छ) आवेदन पत्र पर यथा स्थान अपना नवीनतम श्वेत श्याम आवक्ष चित्र चिपकाऐं।

(ज) अनुदेश के अनुसार जिस श्रेणी में प्रविष्ट होना चाहते हैं उस श्रेणी को (✔) चिन्हित करें। इसमें त्रुटि नहीं करे। श्रेणी I में तृतीय भाषा व इसका कोड भी सावधानी से भरे।

नोट :- **आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रलेख संलग्न करें –**

(अ) (1) **कक्षा 8 उत्तीर्ण**/कक्षोन्नत/प्रोन्नत/क्रमोन्नत **की मूल अंकतालिका एवं शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।**

(2) यदि कक्षा 8 नियमित परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है तो शाला की टी.सी.की प्रति।

(३) माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की मूल अंकतालिका एवं शाला प्रधान द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति।

(ब) अन्य प्रलेख जो परीक्षार्थी की पहचान के लिए आवश्यक हों।

6. **अग्रेषण अधिकारी को परीक्षार्थी की पहचान के लिए संतुष्ट होना आवश्यक है –**

आवेदन पत्र और फार्म जमा कराते समय अभ्यर्थी को अग्रेषण अधिकारी को यह संतुष्ट करना आवश्यक है कि आवेदन पत्र उसी परीक्षार्थी का है, जिसका फोटो आवेदन पत्र पर लगा है। इसके लिए उसे निम्नांकित किसी एक स्थिति में होना आवश्यक है :–

(i) परीक्षार्थी अग्रेषण विद्यालय का पूर्व विद्यार्थी हो और अग्रेषण अधिकारी उसे पहचानते हों।

(ii) विद्यालय का कोई अध्यापक जो स्थाई सेवा में हो, उसकी पहचान प्रमाणित करें।

(iii) रु. 10/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अपना फोटो लगाकर शपथ पत्र जिसे ओथ कमिश्नर या नोटेरी पब्लिक सत्यापित करें। अतः आवेदन पत्र जमा करते समय उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र साथ रखें।

7. **आवेदन पत्र जमा कराना –**

(i) अनुदेश –5 के अनुसार आवेदन पत्र की पूर्ति कर संबंधित अग्रेषण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथियों में जमा कराना होगा।

(ii) एक बार मात्र परीक्षा शुल्क जमा करा देने से परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने का हकदार नहीं हो जाएगा। उसे आवेदन पत्र भी वापस निर्धारित तिथि में ही अग्रेषण अधिकारी को जमा कराना हैं। यदि परीक्षार्थी निर्धारित तिथियों में आवेदन पत्र जमा नहीं करा पाता है तो उसे किसी भी दशा में परीक्षा में प्रवेशाज्ञा नहीं दी जाएगी। आवेदन पत्र भरकर वापस अग्रेषण अधिकारी को देते समय परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद भी ले जाऐं तथा आवेदन पत्र जमा कराने की पावती अग्रेषण अधिकारी से रसीद के पीछे लेंगे, जिसे परीक्षार्थी सम्भाल कर रखें। इस प्रकार की पावती देने के लिए अग्रेषण अधिकारी को निर्देश दे दिये गये है। अग्रेषण अधिकारी आवेदन पत्र जमा कराते समय रसीद के पीछे पावती के हस्ताक्षर कर मुद्रा व तारीख लगाऐंगे।

(iii) आवेदन पत्र की पूर्ति के बाद परीक्षार्थी को निर्धारित अन्तिम तिथियों तक नियमानुसार इसी अग्रेषण अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर आवेदन–पत्र अग्रेषित कराकर जमा कराना होगा। आवेदन पत्र वाले आवक्ष चित्र के नीचे निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे। आवेदन–पत्र जमा कराते समय निर्धारित तिथियों के अनुसार देय अतिरिक्त शुल्क/असाधारण शुल्क परीक्षार्थी को जमा कराना होगा। आवेदन पत्र में श्वेत–श्याम अथवा स्पष्ट रंगीन आवक्ष चित्र नवीनतम होने चाहिए। जैन साधु/साध्वियों को आवेदन–पत्र पर आवक्ष चित्र लगाने से मुक्ति प्रदान की गई है।

(iv) भारतीय सेना (थल, जल व वायुसेना, सीमा सेना अथवा आर.ए.सी.) में कार्यरत परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र सीधे बोर्ड को भेजने की सुविधा दी गई है। सेना अधिकारी ऐसे परीक्षार्थी के लिए प्रमाणित करेंगे कि आवेदक उसकी यूनिट या रैजीमेंट में नियुक्त है। जो परीक्षार्थी आवेदन पत्र भरते समय केन्द्रीय सुरक्षा बल में कार्य कर रहे हैं, उनको अपना आवेदन–पत्र अपने पुलिस अधिकारी जिसका पद डिप्टी सुपरिटेंडेन्ट के पद से कम न हो, के द्वारा अग्रेषित करवा कर सीधा बोर्ड को भेजने की सुविधा है। शेष नियम अन्य स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के समान लागू होंगे। सैनिक परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क जमा कराने की रसीद की फोटो स्टेट प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ लगाकर भेजना अनिवार्य है। इसके अभाव में उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

(v) यदि कोई परीक्षार्थी अपने आवेदन पत्र में असत्य विवरण अथवा फर्जी/झूठे प्रलेख संलग्न कर अथवा प्रलेखों में हेराफेरी करके परीक्षा में प्रवेश पाने का प्रयत्न करेगा तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यदि वह परीक्षा में प्रविष्ट हो गया है तो भी उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी व परीक्षा शुल्क भी नहीं लौटाया जायेगा तथा दोष की गम्भीरता के अनुसार भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से भी उसे वंचित किया जा सकेगा और/अथवा तत्सम्बंधी, नियमानुसार अन्य दण्ड भी दिया जा सकेगा। फर्जी/झूठे प्रलेख प्रस्तुत करने वाले परीक्षार्थियों के विरूद्ध पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

(vi) इस कार्यालय में पूछताछ करते समय परीक्षार्थी अपना पूरा विवरण यथा नाम, अग्रेषण अधिकारी का नाम, इच्छित केन्द्र का नाम तथा विषय अवश्य लिखें। उक्त विवरण रहित पत्र का उत्तर देना सम्भव नहीं होगा। सैनिक परीक्षार्थी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा प्रत्येक पत्र व्यवहार के समय उक्त पूर्ण विवरण व पता अवश्य देना चाहिए।

नोट :- प्राइवेट कोचिंग इन्स्टीट्यूट को बोर्ड ने आवेदन पत्र बेचने तथा अग्रेषित करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है, अतः परीक्षार्थी को ऐसी संस्थाओं से उक्त कार्य हेतु सम्पर्क नहीं करना चाहिए। यदि किसी परीक्षार्थी के बारे में यह पाया जायेगा कि उसने प्राइवेट कोचिंग इन्स्टीट्यूट के मार्फत आवेदन पत्र बोर्ड को प्रस्तुत किया है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसे बोर्ड नियमानुसार दण्डित किया जा सकेगा।

8. **परीक्षा शुल्क से मुक्ति** –

निम्नांकित परीक्षार्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर टोकन शुल्क रु. 45/– ही नकद जमा कराना होगा। किन्तु विलम्ब शुल्क तिथियों के अनुसार, केन्द्र/वर्ग/विषय परिवर्तन कर प्रविष्ट होने वाले छात्रों से पूरा परीक्षा शुल्क लिया जावेगा।

(1) दृष्टिहीन परीक्षार्थी (दृष्टिहीन होने की पुष्टि में आवेदन पत्र के साथ राजकीय चिकित्सालय के प्रधान चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

(2) युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र/पुत्री (पुष्टि हेतु सैनिक अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

(3) विकलांग परीक्षार्थी हेतु विकलांग परीक्षार्थी की परिभाषा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा विकलांगों को रोजगार के लिये निर्धारित की गई परिभाषा के अनुसार मानी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थियों द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले विकलांगो को निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही शुल्क से मुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

9. **प्रवेश – पत्र एवं अंकतालिका प्राप्त करने की विधि :**

(क) परीक्षार्थी को चाहिए कि वह परीक्षारम्भ के एक सप्ताह पूर्व सम्बंधित अग्रेषण अधिकारी से सम्पर्क कर प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें।

(ख) आवेदन पत्र के साथ संलग्न मूल प्रलेख सम्बंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थ आवेदन पत्र के साथ भेजे जायेगें। अतः वहां से प्राप्त कर लें। यदि परीक्षा केन्द्र से उनके मूल प्रलेख प्राप्त नहीं होते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर उनसे पूरी पूछताछ करें तथा उसके बाद तुरन्त ही बोर्ड कार्यालय को लिखें। टी.सी. वापस नहीं की जायेगी। यदि परीक्षार्थी को इसकी आवश्यकता हो तो वह बोर्ड कार्यालय में रु. 50/– भेज कर प्राप्त कर सकता है।

(ग) जिन सैनिक परीक्षार्थियों, के आवेदन पत्र सैनिक अधिकारियों द्वारा अग्रेषित होकर प्राप्त होंगे उनके प्रवेश पत्र उनके आवेदन पत्र में लिखे स्थाई पते पर बोर्ड कार्यालय से सीधे भेज दिये जायेंगे। अतः परीक्षार्थी अपने स्थाई पते पर जानकारी करता रहे।

(घ) जिस परीक्षार्थी का आवेदन – पत्र किसी भी कारण से निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना संबंधित परीक्षार्थी एवं अग्रेषण अधिकारी को दे दी जायेगी।

(ङ) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को उनके प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका तथा पूरक परीक्षा योग्य परीक्षार्थियों को अंकतालिकाएं उसी केन्द्र पर, जिस पर कि उन्होंने परीक्षा दी थी, परिणाम घोषित होने के पश्चात् भेज दी जाएगीं। अतः अंक तालिका प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थियों को स्वयं को केन्द्राधीक्षक के पास अपना प्रवेश पत्र लेकर उपस्थित होना चाहिए। सैनिक परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र व अंकतालिका उनके आवेदन पत्र में दिये गए पते पर बोर्ड कार्यालय द्वारा सीधी भिजवा दी जावेगी।

10. 1. (अ) केन्द्र/श्रेणी/माध्यम परिवर्तन हेतु एक परीक्षा शुल्क सहित आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2013 तक।

(ब) परीक्षार्थ आवेदन–पत्र भरने के पश्चात् यदि परीक्षार्थी विषय परिवर्तन करना चाहे तो निम्नानुसार विषय परिवर्तन कर सकेगा।

1. 30 नवम्बर तक प्रति विषय एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
2. 31 दिसम्बर तक विषय परिवर्तन करने हेतु प्रति विषय दुगुना परीक्षा शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
3. 31 दिसम्बर के पश्चात् बोर्ड स्तर / परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध होने की स्थिति में 1000/– रुपये अतिरिक्त शुल्क प्रति विषय के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर।
4. केन्द्र पर प्रश्न–पत्र उपलब्ध नहीं होने पर विषय परिवर्तन शुल्क रुपये 2000/– प्रति विषय लिया जायेगा। इस हेतु परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ के तीन दिवस पूर्व विषय परिवर्तन की सूचना देनी होगी। अन्यथा उसका किसी भी परिस्थिति में विषय परिवर्तन नहीं करा जायेगा।

नोट : 1. 31 दिसम्बर के पश्चात् सामान्यतः परीक्षा केन्द्र परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. केवल केन्द्र परिवर्तन हेतु दुगने परीक्षा शुल्क सहित (केवल विशेष परिस्थिति यथा स्थान परिवर्तन/प्राकृतिक आपदा की स्थिती में) आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2013 तक है।
3. निःशक्त परीक्षार्थियों के केन्द्र/वर्ग/विषय परिवर्तन के लिये निर्धारित शुल्क (नियमित/स्वयंपाठी के अनुरूप) प्राप्त कर अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

11. मूक बधिर परीक्षार्थियों को छूट :–

मूक बधिर परीक्षार्थियों को निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी (अनिवार्य) एवं तृतीय भाषा की छूट प्रदान की गयी है।

12. माध्यमिक परीक्षा वर्ष 2014 की परीक्षा हेतु कोड लिस्ट :

अनिवार्य विषय	**कोड**	**तृतीय भाषा**	**कोड**	**अन्य कोड**	**कोड**	**माध्यम कोड**	
हिन्दी	01	संस्कृत	71	पुरूष	01	हिन्दी	01
अंग्रेजी	02	उर्दू	72	महिला	02	अंग्रेजी	02
विज्ञान	07	गुजराती	73	**जाति कोड**		**अन्य**	**कोड**
सामाजिक विज्ञान	08	सिन्धी	74	सामान्य वर्ग	05	दृष्टिहीन	01
गणित	09	पंजाबी	75	अल्पसंख्यक	06	विकलांग	02
				अनुसूचित जाति	07	सूर्यमुखी	03
				अनुसूचित जनजाति	08	सैनिक	04
				पिछड़ी जाति	09	मूक बधिर	05
				स्पेशल ओ.बी.सी.	10	सेरीब्रल पाल्सी	06
				बी.पी.एल.	11	पोलियो/लकवा /जन्मजात विकलांगता	07
						अधिगम अक्षमता (Learning Disability)	08

<u>नोट</u> :– 1. श्रुत लेखक तथा केन्द्र/विषय/वर्ग/श्रेणी/माध्यम परिवर्तन हेतु विस्तृत जानकारी अग्रेषण अधिकारी से प्राप्त करें।
2. अन्य किसी प्रकार की जानकारी एवं विस्तृत नियम हेतु विवरणिका देखें तथा अग्रेषण अधिकारी से सम्पर्क करें।
3. नियम, निर्देश एवं विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाईट Website : www.rajeduboard.nic.in पर भी उपलब्ध है।

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर